

राजस्व विभाग (ग्रुप-8)

विवरण

जयपुर, अक्टूबर 11, 1984

संख्या एफ.2(6)म व 8184-चुकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन भूमि तथा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार के ओर प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जाँच और उसका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 18) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या 7(197) राज. 8171, दिनांक 21-4-73 के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय 4 के अनुसूच्य पूर्वोक्त वन भूमि और बंजर भूमि पर लागू होंगे जो कि एतत्पश्चात् रक्षित वन कहलाया जावेगा।

अनुसूची

वन खण्ड फूसोद रेंज इन्दरगढ़ वन मण्डल - कोटा

जिला	तहसील	पट्टी या वन- खण्ड	सीमा	ख. नं.	क्षेत्रफल वनखण्ड या बी.	विशेष विवरण वि.
1	2	3	4	5	6	7
कोटा	पोपल्दा	फूसोद भाग 1 एक	(1) फूसोद	111 126 128 182 135 246	64 138 26 309 293 81	15 17 4 4 9 15
			योग	6	914	9 365.78 एकड़
			(2) मरझाना	80 129 130 146	59 35 264 221	6 5 16 12
			योग	4	543	17 217.54 एकड़
		योग कुल वन खण्ड भाग एक का- 2 ग्राम		10	1458	0 583.32 एकड़
			क्षेत्रफल वर्ग मीलों में 0.91		क्षेत्रफल वर्ग कि. मी. में 2.35	
कोटा	पोपल्दा	फूसोद भाग 2 दो	1. फूसोद	126 135	10 7	3 1
		योग कुल वन खण्ड भाग दो 1 ग्राम		2	17	4 06.88 एकड़
			गोरवादा-इकाजाई			
		वन खण्ड	बीघा	विस्वा	एकड़	वर्ग मील
						वर्ग कि. मी.
		फूसोद भाग 1	1458	6	583.32	0.91
		फूसोद भाग 2	17	4	6.88	0.01
		योग कुल वन खण्ड भाग 1 व 2	1475	10	590.20	0.92